



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 ज्येष्ठ 1948 (श10)
(सं० पटना 542) पटना, मंगलवार, 26 मई 2026

सं० 2लो०ले०स०-02/2026-397—वि०स०
बिहार विधान सभा सचिवालय

प्रेषक,

उमा शंकर यादव
उप-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार।

पटना, दिनांक-25/03/2026

विषय:- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक”, “अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल”, मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए “निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल”, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2) तथा “विनियोग लेखे” एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024) के लिए “निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल” को सदन पटल पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022-23 के “निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक”, “अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल”, मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए “निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल”, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष 2024-25 के प्रतिवेदन “वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2) तथा “विनियोग लेखे” एवं बिहार में जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यपद्धति पर 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए अवधि (अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के अवधि के दौरान जिला परिवहन कार्यालयों के कार्यपद्धति पर) के लिए “निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल” प्रतिवेदनों को माननीय वित्त

मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिनांक— 26.02.2026 को सदन पटल पर उपस्थापित किया गया तथा “प्रतिवेदन जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो” के आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ। तत्संबंधी पारित प्रस्ताव की टंकित प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,
उमा शंकर यादव,
उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 542-571+20-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>